पत्रांक– कारा/बजट (के0) 01–03/2016...43

बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)।

प्रेषक,

आनन्द किशोर,
महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षक,
आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना।

पटना, दिनांक:–...20.../...7.../ 2016

विषय:– **मुख्य शीर्ष–2056 जेल (गैर योजना), उप मुख्यशीर्ष–00, मांग सं0 22, लघुशीर्ष–101 जेल, उपशीर्ष–0001 केन्द्रीय जेल के तहत् वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु आकस्मिक मद (21 01 सामग्री एवं पूर्तियाँ) में निकासी हेतु ₹4,80,000 (चार लाख अस्सी हजार रूपये मात्र) अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।**

विपत्र कोड–N-2056001010001

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक–ब17/बी0एस0जी0–18/2016–423/वि0 दिनांक–31.03.2016, पत्रांक–एम0–4–09/2014–4572/वि0 दिनांक–03.06.2016 एवं ज्ञाप संख्या–2561/वि0 (2) दिनांक–17.04.98 तथा अधीक्षक, आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना के पत्रांक–7327 दिनांक–20.07.2016 से प्राप्त अधियाचना के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु निम्नांकित रूप से आवंटन की स्वीकृति दी जाती है :–

क्र	कारा का नाम	कुट एवं मद का नाम	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	राशि (शब्दों में)
1	आदर्श केन्द्रीय कारा बेऊर, पटना	21 01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	4300000	480000	4780000	सैंतालीस लाख अस्सी हजार रूपये मात्र।
कुल योग			**4300000**	**480000**	**4780000**	**सैंतालीस लाख अस्सी हजार रूपये मात्र।**

(चार लाख अस्सी हजार रूपये मात्र)

2. उक्त आवंटन की स्वीकृति मुख्य शीर्ष–2056 जेल (गैर योजना), उपमुख्य शीर्ष–00, लघुशीर्ष–101 जेल, मांग सं0–22, उपशीर्ष–0001 केन्द्रीय जेल (विपत्र कोड–N2056001010001) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में बजट उपबंधित राशि के अन्तर्गत दी जा रही है।

3. इस आवंटन के अन्तर्गत किये जाने वाले व्यय में, बिहार वित्तीय नियमावली, वित्तीय नियमावली 2005 (संशोधित) एवं इनके अन्तर्गत निर्गत समस्त नियमों, अनुदेशों तथा वित्त विभाग के ज्ञाप सं0 2561/वि0(2) दिनांक 17.04.1998 में निहित अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. आवंटित राशि के व्यय पर कठोर नियंत्रण रखने, मितव्ययिता बरतने तथा वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु वित्त विभाग सहित विभागीय आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5. इस राशि का विकलन मुख्य शीर्ष– 2056 जेल (गैर योजना), उप मुख्य शीर्ष–00, लघुशीर्ष–101 जेल, उपशीर्ष–0001 केन्द्रीय जेल के तहत होगा। काराधीक्षक को निदेश दिया जाता है कि मद की कूट संख्या, मांग संख्या–22 एवं विपत्र कोड–N2056001010001 का उल्लेख विपत्र पर अवश्य करें अन्यथा कोषागार द्वारा विपत्र पारित नहीं किया जायेगा।

6. प्रत्येक मद में आवंटित राशि से अधिक का व्यय किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय तथा एक मद से दूसरे मद में राशि का विचलन नहीं किया जाय।

E:\Ajay\ALLOTMENT AND EXPENDITURE\2016-17\CJ\contigency\Budget 16-17 CJ Beur Cont. Add. 20.07.2016.doc

7. मासिक व्यय की ईकाईवार विवरणी टी0भी0 नं0 के साथ यथा पूर्व निदेशित, ससमय अनिवार्य रूप से निरीक्षणालय में उपलब्ध करा दिया जाय। व्यय विवरणी में पूर्व माह का व्यय, वर्त्तमान माह का व्यय एवं कुल अद्यतन व्यय का उल्लेख अवश्य किया जाय। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बरतने अथवा विलम्ब होने पर इसे वित्तीय अनियमितता मानते हुए आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है।

विश्वासभाजन

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–कारा/बजट (के0) 01–03/16...43... पटना, दिनांक:–...20.../...7.../ 2016

प्रतिलिपि:– महालेखाकर, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–कारा/बजट (के0) 01–03/16...43... पटना, दिनांक:–...20.../...7.../ 2016

प्रतिलिपि:– कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–कारा/बजट (के0) 01–03/16...43... पटना, दिनांक:–...20.../...7.../ 2016

प्रतिलिपि:– प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल पटना एवं जिला पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–कारा/बजट (के0) 01–03/16...43... पटना, दिनांक:–...20.../...7.../ 2016

प्रतिलिपि:– आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।